भारत-पाक तनाव पर चीन की सेना की नजर

बेजिंग, 28 फरवरी (भाषा)।

चीन की सेना ने गुरुवार को कहा कि वह भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर करीब से निगाह रखे हुए है। इसके साथ ही उसने दोनों ही पड़ोसियों से संयम बरतने का आह्वान किया।

भारत और पाकिस्तान को 'चीन के मित्र' बताते हुए उसने यह भी कहा कि दोनों ही देशों को बातचीत के माध्यम से मुद्दे का समाधान करना चाहिए व तनाव को और बढ़ने से रोकने के लिए मतभेदों को निपटाना चाहिए। पुलवामा आतंकवादी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव काफी बढ़ गया है। उसके बाद भारत ने बालाकोट में जैश के सबसे बड़े प्रशिक्षण शिविर पर हवाई हमला किया। उस अभियान में बड़ी संख्या में जैश के आतंकवादी, प्रशिक्षु, वरिष्ठ कमांडर और जिहादी मारे गए। इन जिहादियों को आत्मघाती बम हमले के लिए तैयार किया जा रहा है। इस शिविर का अगुवा जैश प्रमुख का साला यूसुफ अजहर था।

भारत और पाकिस्तान को 'चीन के मित्र' बताते हुए उसने यह भी कहा कि दोनों ही देशों को बातचीत के माध्यम से मुद्दे का समाधान करना चाहिए व तनाव को और बढ़ने से रोकने के लिए मतभेदों को निपटाना चाहिए। पुलवामा आतंकवादी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव काफी बढ़ गया है।

पाकिस्तान ने बुधवार को दावा किया कि उसने अपने हवाई क्षेत्र में दो भारतीय लड़ाकू जेट विमानों को मार गिराया और एक पायलट को गिरफ्तार किया।

चीन रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता वरिष्ठ कर्नल रेन गुओचांग ने यहां पत्रकारों के दौरान कहा, 'हमने नवीनतम घटनाक्रम का संज्ञान लिया है और हम स्थिति पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं।' उनसे भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति के बारे में पूछा गया था।

जब प्रवक्ता से यह पूछा गया कि क्या पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने तनाव के मद्देनजर सीमाओं पर अपने सैनिकों की मौजूदगी बढ़ा दी है तो उन्होंने कहा, 'भारत और पाकिस्तान दोनों ही चीन के मित्र हैं। हमारा मानना है कि शीर्ष प्राथमिकता संयम बरतना है और वार्ता एवं तालमेल से मुद्दे का हल करना है ताकि तनाव बढ़ने से रुके।' उन्होंने कहा, 'हम उम्मीद करते हैं कि दोनों पक्ष संयम बरतेंगे, मतभेद निपटाएंगे और तनाव को बढ़ने से रोकेंगे।'

पाक के हवाई क्षेत्र को बंद करने से हजारों लोग थाइलैंड में फंसे

बैंकाक, 28 फरवरी (एएफपी)।

भारत के साथ बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान द्वारा अपने हवाई क्षेत्र को बंद किए जाने से थाई एअरवेज ने पाकिस्तान के लिए अपनी सभी उड़ानें रद्द कर दी हैं जिससे हजारों यात्री यहां फंस गए हैं।

विमानन सेवा ने बताया कि इससे प्रारंभिक तौर पर कम से कम 30 उड़ानें प्रभावित हुई हैं। इनमें से तीन विमानों को बैंकॉक के स्वर्णभूमि हवाई अड्डे पर लौटना पड़ा और अन्य को या तो रद्द किया गया अथवा उन्हें बदले मार्ग से चलाया जाएगा।

थाई एअरवेज ने बताया कि इस पूरे संकट में कम से कम 5000 यात्री फंस गए हैं। एअरलाइंस के एक प्रवक्ता ने बताया कि यूरोप के लिए नए रास्तों की तलाश की जा रही है वहीं ईरान ने उसके हवाई क्षेत्र से गुजरने के अनुरोध को ठुकरा दिया है।

आस्ट्रेलिया ने भारत-पाक से संयम बरतने को कहा

मेल्बर्न,28 फरवरी (भाषा)।

आस्ट्रेलिया ने भारत और पाकिस्तान से संयम बरतने और सैन्य कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ाने की दोबारा अपील करते हुए कहा कि तनाव बढ़ना सभी के लिए बेहद खतरनाक है। आस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री मारिस पायने ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव से वह बेहद चिंतित हैं।

उन्होंने बुधवार को कहा, 'पाकिस्तान और भारत के बीच बढ़ते संघर्ष की बेहद गंभीर खबरों को मैं सुन रही थी। इनसे मैं बेहद चिंतित हूं।' उन्होंने कहा, 'अगर ये रिपोर्टें सही हैं तो हम दोनों पक्षों से संयम बरतने और सैन्य कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ाने की दोबारा अपील करते हैं।'

भारत-पाक संघर्ष सुलझाने का एक ही मार्ग है कूटनीति

वाशिंगटन, 28 फरवरी (भाषा)।

शीर्ष अमेरिकी सांसदों ने भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को 'गहरी चिंता का विषय' करार देते हुए कहा कि परमाणु हथियारों वाले दोनों देशों को युद्ध नहीं, बल्कि वार्ता के माध्यम से अपने मतभेद सुलझाने चाहिए।

भारतीय मूल की अमेरिकी सांसद तुलसी गबार्ड ने कहा, 'भारत और पाकिस्तान में हमारे मित्र कृपया यह याद रखें कि परमाणु शक्तियों के तौर पर वैश्विक समुदाय के प्रति आपकी यह जिम्मेदारी है कि आप युद्ध नहीं, बल्कि वार्ता के जरिए मतभेद सुलझाएं। इस तरह के समय में शांत दिमाग से काम लेना चाहिए।' एशिया, प्रशांत एवं परमाणु अप्रसार के लिए विदेश मामलों की सदन की उपसमिति के अध्यक्ष ब्रैड शेरमैन ने कहा, 'हम उम्मीद करते हैं कि भारत और पाकिस्तान संकट के मौजूदा दौर में अत्यंत संयम से काम लेंगे। इस संघर्ष को सुलझाने के लिए कूटनीति एकमात्र मार्ग है।' सीनेटर एड मार्के ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ना 'अत्यंत चिंता का विषय' है।

उन्होंने कहा, 'परमाणु हथियारों से सम्पन्न दोनों देशों को शांतिपूर्ण तरीके से संकट सुलझाने की प्रतिबद्धता जतानी चाहिए और अमेरिका को सहायता के लिए तैयार रहना चाहिए।' सीनेटर क्रिस मर्फी ने भारत और पाकिस्तान से अपील की कि दोनों देश तनाव कम करने के लिए उच्चस्तरीय आपातकालीन वार्ता करें।

अमेरिकी सांसदों ने कहा

इस बीच 'लॉन्ग वॉर' जरनल के संपादक बिल रोगियो ने कहा, 'पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का यह कहना एकदम सही है कि किसी को नहीं पता कि युद्ध कहां लेकर जाता है और इसी लिए पाकिस्तान को अपने देश में हर आतंकवादी समूह को नष्ट करना चाहिए।

चीन के विदेश मंत्री से बात की कुरैशी ने

बेजिंग, 28 फरवरी (भाषा)।

पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने अपने चीनी समकक्ष वांग यी को 'अत्यावश्यक' फोन कॉल किया और पाकिस्तान व भारत के बीच तनाव के बारे में उन्हें बताया।

चीन के विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि वांग ने कुरैशी को शांति वार्ता को प्रोत्साहित करने के लिए चीन के प्रयासों की जानकारी दी और उम्मीद दोहराई कि पाकिस्तान और भारत संयम बरतेंगे और हालात को बिगड़ने से रोकने की प्रतिबद्धता पूरी करेंगे।

भारत और पाकिस्तान के बीच बुधवार को तनाव बढ़ने के बाद कुरैशी ने फोन किया। बुधवार को पाकिस्तान ने भारत के दो लड़ाकू विमानों को मार गिराने का दावा किया था। उसने भारत के एक पायलट को भी पकड़ने का दावा किया है।चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा, '27 फरवरी, 2019 को देर रात में पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने स्टेट काउंसलर और विदेश मंत्री वांग यी से फोन पर अत्यावश्यक बात की।

आरईसी लिमिटेड (भारत सरकार का उद्यम)
(पूर्व में रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड)
पंजीकृत कार्यालयः कोर–4, स्कोप कांप्लेक्स, 7, लोदी रोड, नई दिल्ली–110003, फोनः 91-11-43091500, फैक्सः 91-11-24360644, ई–मेलः compliance officer@recl.in
वेबसाइटः www.recindia.com सीआईएनः L40101DL1969GOI005095

सूचना

कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 10 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि बृहस्पतिवार, 28 फरवरी, 2019 को आयोजित बैठक में निदेशक मंडल द्वारा घोषित ₹ 10/- के प्रत्येक शेयर पर ₹ 11/- की दर से वित्त वर्ष 2018-19 के लिए अंतरिम लाभांश की अदायगी के प्रयोजनार्थ शेयरधारकों की गणना हेतु कंपनी ने **मंगलवार, 12 मार्च, 2019** को 'रिकार्ड तिथि' के रूप में निर्धारित किया है। शेयरधारक, जिनके नाम (क) इलेक्ट्रॉनिक फार्म में धारित शेयरों के संबंध में दिनांक 12 मार्च, 2019 को कार्य समय की समाप्ति पर डिपॉजिटरी(रियों) द्वारा दिए जाने वाले विवरण (विवरणों) में लाभार्थी स्वामियों के रूप में तथा (ख) दिनांक 12 मार्च, 2019 को कारोबारी समय की समाप्ति तक कंपनी / रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट के प्रत्यक्ष रूप मे दर्ज सभी वैध शेयर अंतरण अनुरोधों पर कार्रवाई करने के उपरांत सदस्यों के रजिस्टर में सदस्य के रूप में दर्ज होंगे, उक्त अंतरिम लाभांश के हकदार होंगे।

इसके अतिरिक्त, जिन निवेशकों ने वित्त वर्ष 2011-12 और उसके उपरांत के वर्षों में अपने लाभांश राशि का दावा नहीं किया है, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे ऐसी राशियों का दावा करने के लिए कंपनी के रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट (आर एंड टीए) अर्थात् कार्वी फिंटेक प्राइवेट लिमिटेड, यूनिटः आरईसी को कार्वी सेलेनियम टॉवर-बी, प्लॉट 31-32, गाचीबॉवली फाइनेंसियल डिस्ट्रिक, नानकरामगुडा, हैदराबाद-500032 दूरभाषः 91-40-67161500 से संपर्क करें अथवा ई-मेल compliance officer@recl.in पर अपना विवरण ई-मेल कर दें। इसके अलावा, निवेशकों को यह सुझाव दिया जाता है कि वे अंतिम लाभांश 2010-11 तक की अप्रदत्त/अदावाकृत राशि, यदि कोई हो तो, का दावा करने के लिए आईईपीएफ अथॉरिटी से संपर्क करें, क्योंकि उक्त को आईईपीएफ को अंतरित कर दिया गया है।

कृते आरईसी लिमिटेड
हस्ता/-
(जे.एस. अमिताभ)
महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांकः फरवरी 28, 2019

महत्वपूर्ण सूचनाः कंपनी की 'हरित पहल' का समर्थन करने के लिए सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपना ई-मेल आईडी कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागी(यों)/कंपनी के आर एंड टीए (कार्वी) के पास दर्ज/ अद्यतन करा दें, जिसका प्रयोग भविष्य में कार्यालयी दस्तावेजों को ई-मेल के माध्यम से भेजने के लिए किया जाएगा।

यूफ्लैक्स लिमिटेड
'A part of your daily life'
CIN : L74899DL1988PLC032166
रजिस्टर्ड ऑफिस : 305, तीसरी मंजिल, भानोट कॉर्नर, पाम्पोष एन्क्लेव, ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली-110048, फोन : +91-11-26440917, 26440925, फैक्स : +91-11-26216922
वेबसाईट : www.uflexltd.com, इमेल : flexsec@vsnl.net

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि सेबी सर्क्युलर तिथि 6.11.2018 अर्थात् SEBI/HO/MIRSD/DOS3/CIR/P/2018/139 के अंतर्गत अंतरण के लिये अंतरिती द्वारा कम्पनी में निम्नलिखित शेयर प्रमाणपत्र दाखिल की गई है। यदि किसी व्यक्ति का उक्त शेयरों में कोई दावा/कोई हित हो अथवा यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त अंतरण के प्रति किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो, वे इस सूचना के प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर कम्पनी को लिखें/कम्पनी के पास अपनी आपत्ति भेजें जिसमें विफल रहने पर यह कम्पनी मेरिट्स के आधार पर शेयरों के अंतरण का विचार करेगी तथा किसी भी व्यक्ति के लिये किसी भी क्षति, वित्तीय अथवा अन्य के लिये कम्पनी उत्तरदायी नहीं होगी।

फोलिओ	प्रमाणपत्र सं.	विशिष्ट सं.	विक्रेता का नाम	क्रेता का नाम	शेयरों की सं.
42503	197442	14029697-14029746	जयदीप आर. पटेल	पर्षोत्तम खुशलदास परियानी	50
42503	197443	14029747-14029796	जयदीप आर. पटेल	पर्षोत्तम खुशलदास परियानी	50

यूफ्लैक्स लिमिटेड के लिये
हस्ता./-
अजय कृष्णा
वरि. वी.पी. (लीगल) एवं कम्पनी सचिव
ACS No.3296
पता : सी–001,कृष्णा अपरा रेजिडेन्सी, ई–8, सेक्टर–61, नोएडा–201301

स्थान : नोएडा
तिथि : 27.02.2019

इंडियन बैंक Indian Bank
आपका अपना बैंक
Your Own Bank
अंचल कार्यालयः नोएडा
Zonal Office, Noida

अंचल कार्यालयः
डी–211/2, द्वितीय तल
सैक्टर–61, नोएडा–201301,
फोन– 0120: 2583584, 2583582

परिशिष्ट–IV (नियम–8(1) अचल संपत्ति का कब्जा नोटिस

जैसा कि अधोहस्ताक्षर कर्ता ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत इंडियन बैंक का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए तथा धारा 13(12) सहपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 एवं 9 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 12.02.2018 को मांग नोटिस जारी किया था जिसमें उधारकर्ता मै0. आर डी फर्नीचर प्रो0. श्रीमती साहिना रानी और गारंटर श्री शमसुददीन हमारी सैक्टर–63, शाखा में मांग नोटिस में वर्णित मियादी ऋण की राशि रू. 4363299/– (केवल तेतालिस लाख तिरेसठ हजार दो सौ निन्यानवे) को मांग नोटिस की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर ब्याज सहित अदा करने को कहा गया था।

ऋणी द्वारा धनराशि अदा न करने पर ऋणी तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधेहस्ताक्षरी कर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) सपठित उक्त नियम के नियम 8 एवं 9 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 22.02.2019 को निम्नलिखित संपत्ति का कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से संपत्ति के मालिक (ऋणी) तथा आम तौर पर जनता को इस संपत्ति के संबंध में कोई भी लेन–देन न करने की चेतावनी दी जाती है। इस सम्पत्ति के साथ कोई भी लेन–देन इंडियन बैंक को देय धनराशि रू. 5016221/– (केवल पचास लाख सोलह हजार दो सौ इक्कीस) दिनांक 20.02.2019 तक एवं उस पर दिनांक 21.02.2019 से ब्याज तथा अन्य खर्चों आदि के अधीन होगा।

हम सरफेसी अधिनियम की धारा–13 (8) के प्रवधानों एवं नियमों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। जोकि प्रतिभूतियों पर आपके प्रतिदान के अधिकारों को बताता है।

अचल संपत्तियों का विवरण

आवासीय सम्पत्ति जिसकी माप 167.22 स्क्वेयर मीटर, खसरा नं0. 46, गांव सूरजपुर, परगना दादरी, गौतमबुद्धनगर यू0पी0 जो श्रीमती रानी से सम्बंधित है की सीमा निम्नानुसार है:– चौहद्दीः उत्तरः दिनेश का प्लॉट, दक्षिणः रास्ता 20 फिट चौड़ा, पूर्वः विक्रेता का प्लॉट, पश्चिमः विक्रय प्लॉट।

दिनांकः 22.02.2019
स्थानः सूरजपुर।

प्राधिकृत अधिकारी
(इंडियन बैंक)
अंचल कार्यालय नोएडा।

डाक विभाग
सूचना

आप (श्री वी.एस. कुण्डलास), कनिष्ठ अभियंता (ई), डाक विद्युत उप-मंडल, जीपीओ, कश्मीरी गेट, दिल्ली-6 पिछले 23.8.2011 से अपनी ड्यूटी से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। इस संदर्भ में आपके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई शुरू की गई है। आपने अभी तक आपको जारी की गई आरोप पत्र का अपना बचाव जमा नहीं किया है। आपको इस मामले की सुनवाई जो अधीक्षण अभियंता (ई) के ई.ए., डाक विद्युत सर्किल, 9वाँ तल, मेघदूत भवन, झंडेवालान एक्स्टेंशन, नई दिल्ली के कक्ष में 18.4.2019 को 11.00 बजे में आयोजित की जाएगी, में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का अंतिम अवसर दिया जाता है जिसमें विफल होने पर आपके विरुद्ध एकतरफा कार्रवाई की जाएगी।

(ए.के. चौधरी)
जाँच अधिकारी
सह कार्यपालक अभियंता (ई),
डाक विद्युत प्रभाग
कोलकाता

पंजाब नैशनल बैंक
शाखा कार्यालय : लोहारू रोड, भिवानी-127021
मंडल कार्यालय : रोहतक
शुद्धि-पत्र
जनसत्ता में दिनांक 28-02-2019 को प्रकाशित नीलामी सूचना में नीलामी की तिथि 28.03.2019 के स्थान पर 30.03.2019 पढ़ा जाए।
(प्राधिकृत अधिकारी) पंजाब नैशनल बैंक

LIBERTY
Phone: 28711800/28712998
"Luka Chuppi" (U/A) (Hindi) 2D
*Ing Kartik Aaryan, Kriti Sanon
Show Timing: 12:30pm, 3:30pm, 6:30pm, 9:45pm
Internet booking: www.libertycinema.in
Phone booking No. 39895050

एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
CIN-L74899DL1960GOI003335

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अपने पत्र संख्याः एफ.सं. 21–37/2018–IA–III, दिनांक 22 फरवरी, 2019 के माध्यम से "पर्यावरणीय अनापत्ति" की पुष्टि की है। यह अनापत्ति द्वारका, सेक्टर–21, नई दिल्ली में एसपीजी के लिए आवासीय सह प्रशिक्षण परिसर के निर्माण के लिए दी गई है। अनापत्ति पत्र की प्रतियां डीपीसीसी/समिति के पास उपलब्ध हैं और इन्हें मंत्रालय की वेबसाइट http://moef.nic.in पर भी देखा जा सकता है।

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
(पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड)
कॉर्पोरेट कार्यालयः वन इंडियाबुल्स सेन्टर, टावर 2ए एवं 2बी, 10 वॉ तल, सेनापति बापत मार्ग, लोअर परेल (वेस्ट), मुम्बई-400013
प्राधिकृत अधिकारः- श्री अमृत पाल सिंह गिल/ सम्पर्क नम्बरः- +91-9999776185
परिशिष्ट-IV-ए [नियम 8 (6) का प्रावधान देखें]
अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिये बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिये ई-नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारक (कों) तथा गारन्टर (रों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूति क्रेडीटर के पास गिरवी/ चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड अब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा भौतिक कब्जा किया गया है, की मै. यू-लाइक फर्नीचर, द्वारा पार्टनर हर्ष मदान (ऋणधारक) तथा हर्ष मदान, महिन्दर कुमार मदान एवं कान्ता मदान (मृतक द्वारा सांविधिक उत्तराधिकारियों महिन्दर कुमार मदान एवं हर्ष मदान) (सह-ऋणधारकों) से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (तात्कालिक कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड) के 23.5.2017 बकाये आईएनआर 06,29,12,931/- की वसूली के लिये 20.3.2019 को "जैसा है जहां है" "जो भी जैसा है" तथा "जो कुछ भी वहां है" आधार पर बिक्री की जायेगी। आरक्षित मूल्य आईएनआर 10,53,00,000/- (रुपये दस करोड़ तिरेपन लाख मात्र) होगी तथा धरोहर राशि भुगतान आईएनआर 1,05,30,000/- (रुपये एक करोड़ पांच लाख तीस हजार मात्र) होगी।

अचल सम्पत्ति का विवरण

सम्पत्ति सं.- बी- 114, ब्लॉक-बी, मानसरोवर गार्डन, नई दिल्ली-110015 की सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा।

बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की वेबसाईट अर्थात www.idfcfirstbank.com में दी गई लिंक देखें।

डिस्क्लेमरः कृपया ध्यान रहे कि उक्त सूचना केवल अचल सम्पत्ति की बिक्री के लिये ही जारी की गई है तथा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड को अचल सम्पत्ति में वर्तमान में पड़ी चल परिसम्पत्तियों, यदि कोई हो, की बिक्री का कोई अधिकार नहीं है।

हस्ता./-
प्राधिकृत अधिकारी
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
(पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड के नाम से विदित)

तिथिः 27.2.2019

इंडियन बैंक Indian Bank
आपका अपना बैंक
Your Own Bank
अंचल कार्यालयः नोएडा
Zonal Office, Noida

अंचल कार्यालयः
डी–211/2, द्वितीय तल
सैक्टर–61, नोएडा–201301,
फोन– 0120: 2583584, 2583582

परिशिष्ट–IV (नियम–8(1) अचल संपत्ति का कब्जा नोटिस

जैसा कि अधोहस्ताक्षर कर्ता ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत इंडियन बैंक का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए तथा धारा 13(12) सहपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 एवं 9 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 11.06.2018 को मांग नोटिस जारी किया था जिसमें उधारकर्ता श्री राज कुमार सिंह पुत्र श्री उपाध्याय सिंह और गारंटर श्री विक्रम कुमार हमारी सैक्टर–63, शाखा में मांग नोटिस में वर्णित मियादी ऋण की राशि रू. 460394/– (केवल चार लाख साठ हजार तीन सौ चौरानवे) को मांग नोटिस की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर ब्याज सहित अदा करने को कहा गया था।

ऋणी द्वारा धनराशि अदा न करने पर ऋणी तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधेहस्ताक्षरी कर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) सपठित उक्त नियम के नियम 8 एवं 9 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 22.02.2019 को निम्नलिखित संपत्ति का कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से संपत्ति के मालिक (ऋणी) तथा आम तौर पर जनता को इस संपत्ति के संबंध में कोई भी लेन–देन न करने की चेतावनी दी जाती है। इस सम्पत्ति के साथ कोई भी लेन–देन इंडियन बैंक को देय धनराशि रू. 440142.50 (केवल चार लाख चालिस हजार एक सौ बियालिस और पचास पैसा) दिनांक 20.02.2019 तक एवं उस पर दिनांक 21.02.2019 से ब्याज तथा अन्य खर्चों आदि के अधीन होगा।

हम सरफेसी अधिनियम की धारा–13 (8) के प्रवधानों एवं नियमों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। जोकि प्रतिभूतियों पर आपके प्रतिदान के अधिकारों को बताता है।

अचल संपत्तियों का विवरण

आवासीय सम्पत्ति जिसकी माप 18.51 स्क्वेयर मीटर, (199.17 स्क्वेयर फिट) फ्लैट नं0. 207/ए–1, प्रथम तल, ब्लॉक–एफ, सैक्टर–11, प्रताप विहार गाजियाबाद यू0पी0 की सीमा निम्नानुसार हैः– चौहद्दीः उत्तरः फ्लैट नं0 एफ–207ए, दक्षिणः खुला, पूर्वः फ्लैट नं0 एफ–206ए/1, पश्चिमः फ्लैट नं0 एफ–208ए/1.

दिनांकः 22.02.2019
स्थानः गाजियाबाद।

प्राधिकृत अधिकारी
(इंडियन बैंक)
अंचल कार्यालय नोएडा।

वैभव ग्लोबल लिमिटेड
CIN: L36911RJ1989PLC004945; रजि. कार्या.- के-6बी, फतेह टीबा, आदर्श नगर, जयपुर-302004; फोनः 91-141-2601020; फैक्स : 91-141-2605077;
ई-मेल : investor_relations@vaibhavglobal.com; वेबसाइट : www.vaibhavglobal.com

डाक मत पत्र एवं ई-वोटिंग की सूचना

1. एतत् द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 110 के प्रावधानों एवं संशोधित कम्पनी (प्रबधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 ("नियम") के साथ पठित, के अनुसरण में कम्पनी ने दिनांक 28 जनवरी, 2018 को डाक मतपत्र सूचना में निर्धारित विषयों पर प्रस्ताव के माध्यम से उनकी सहमति प्राप्त करने के लिये, सदस्यों को डाक मतपत्र सूचना और डाक मतपत्र फार्म इलेक्ट्रोनिक प्रेषण /भौतिक रूप से भेजने का कार्य गुरूवार, 28 फरवरी, 2019 को पूर्ण कर लिया गया है। डाक मतपत्र सूचना और डाक मतपत्र फार्म कम्पनी की वेबसाईट www.vaibhavglobal.com और कार्वी की वेबसाईट https://evoting.karvy.com पर उपलब्ध है।
2. अधिनियम की धारा 108 के प्रावधानों एवं संशोधित नियमों के साथ पठित तथा सेबी द्वारा प्रस्तावित सेबी (लिस्टिंग ऑब्लीगेशन व डिस्क्लोजर रिक्वायरमेन्ट) विनियमन, 2015 के अनुसार, डाक मतपत्र सूचना में वर्णित कार्यकलाप ई-वोटिंग के माध्यम से सम्पादित किये जा सकते हैं। कम्पनी सदस्यों के लिये इलेक्ट्रोनिक माध्यम से मतदान करने का अधिकार प्रयोग करने के लिए सुविधा प्रदान कर रही है और कार्वी फिनटेक प्राईवेट लिमिटेड ("कार्वी") द्वारा उपलब्ध ई-वोटिंग प्लेटफार्म के माध्यम से सम्पादित किये जा सकते हैं। सदस्य जो शुक्रवार, 22 फरवरी, 2019 की कट-ऑफ तिथि पर शेयर रखते हैं वो इलेक्ट्रोनिक रूप से वोट डाल सकते हैं। इलेक्ट्रोनिक वोट देने के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड सभी सदस्यों को भेज दिया गया है।
3. ई-वोटिंग शुक्रवार, 1 मार्च, 2019 प्रातः 10.00 बजे आरम्भ होगी एवं वोटिंग करने की अन्तिम तिथि शनिवार, 30 मार्च, 2019 को सांय 5.00 बजे तक रहेगी। उसके बाद ई-वोटिंग मॉड्यूल कार्वी द्वारा निष्क्रिय कर दिया जाएगा। सदस्य द्वारा एक बार वोट डालने के बाद उसे बदलने की अनुमति नही होगी। ई-वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया/ निर्देश डाक मतपत्र सूचना में दिये गये हैं।
4. डाक मतपत्र द्वारा वोटिंग शुक्रवार, 1 मार्च, 2019 को प्रारम्भ होगी तथा वोट प्राप्त करने की अन्तिम तिथि शनिवार, 30 मार्च, 2019 सांय 5.00 बजे तक है। इसके बाद प्राप्त डाक मतपत्रों को उन सदस्यों से जवाब प्राप्त नहीं हुआ माना जायेगा।
5. सदस्य, जिन्हें डाक मतपत्र प्राप्त नहीं हुऐ हैं, वे कम्पनी के पंजीकृत (रजिस्टर्ड) कार्यालय एवं evoting@karvy.com पर ई-मेल के जरिये डुप्लीकेट डाक मतपत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं।
6. ई-वोटिंग सहित डाक मतपत्र द्वारा मतदान से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप https://evoting.karvy.com के Frequently Asked Question (FAQ) देख सकते हैं या ई-वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका को कार्वी की वेबसाईट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा कार्वी की श्रीमती सी. शोभा आनन्द, कार्वी फिनटेक प्राईवेट लिमिटेड, कार्वी सेलीनियम टॉवर बी, प्लॉट 31-32, गाचीबाउली, फाईनेनशल डिस्ट्रीक, नानकरामगुड़ा, सेरीलिंगमपल्ली, हैदराबाद-500032, तेलंगाना, भारत टेलीफोन नं.- 040-67162222, ई-मेल evoting@karvy.com पर उन्हें सम्पर्क कर सकते हैं।
7. डाक मतपत्र के परिणाम कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में सोमवार, 1 अप्रैल, 2019 को कंपनी के कार्यालय समय में घोषित किये जायेंगे। जो कि कम्पनी की वेबसाईट www.vaibhavglobal.com व कार्वी की वेबसाईट https://evoting.karvy.com पर उपलब्ध होने के साथ ही स्टॉक एक्सचेंजों को भी प्रेषित किया जाएगा।
8. कट-ऑफ दिनांक 22 फरवरी, 2019 को जो व्यक्ति कम्पनी का सदस्य नहीं है वह इस सूचना को जानकारी मात्र के लिये मानें।

कृते वैभव ग्लोबल लिमिटेड
हस्ताक्षर
सुशील शर्मा (कंपनी सचिव)
FCS: 6535

स्थान : जयपुर
दिनांक : 28 फरवरी, 2019

KALYAN ELECTORAL TRUST
Regd. Office: 1506, Vikram Tower, Rajendra Place, New Delhi-110008
CIN: U74999DL2014NPL268012

Form No. INC-19
NOTICE
[Pursuant to Rule 22 the Companies (Incorporation) Rules, 2014]

1. Notice is hereby given that in pursuance of Sub-Section (5) of Section 8 of the Companies Act, 2013, an application has been made to the Registrar at NCT of Delhi & Haryana, New Delhi for conversion of Section-8 Company in to "Private Limited" Company with the addition of words "Private Limited" to its name.
2. The Principal / Proposed Objects of the Company are as follows:
   1) To carry on the business of development, manufacture, production, export, import, give or take on hire purchase or give or take on lease, or on deferred credits or on license, service and repairs or otherwise deal in any other manner in all kinds of computers, software, hardware, electronic applications, data processing, silicon chips, printing devices, telecommunications, web designing, web based information systems, client server applications, enterprises, resource planning, business process outsourcing, data management, system and network management, establishing and maintaining portals internet service providers, e-commerce, business network infrastructure, internet commercialization, network security, data warehousing, electronic payment system, inter-organizational, commerce, advertising marketing, consumer search and resources activity, internet and intranet based business, and to act as computer specialists, counsellors, advisors, programmers, and to do all and/or anything required in connection with manufacture, development, production, sales, assembly, integration, arrangement, installation and operating computers, software, programming data processing, giving and/or taking on hire computer lime and in other matters as may be necessary for or in relation to the business of computers, whether in India or abroad, with or without collaboration with anyone in or outside India.
   2) To establish set-up organize, maintain, support, assist and/or conduct training classes, schools, colleges and other educational institutions and to organize educational programs, lectures, seminars, symposium, on demand education, digital copyrights, multimedia and digital video, broadband communication and in any new technology that emerges in the information technology industry.
3. A copy of the draft Memorandum and Articles of the proposed Company may be seen at **1506, Vikram Tower, Rajendra Place New Delhi-110008.**
4. Notice is hereby given that any person, firm, company, corporation or body corporate, objecting to this application may communicate such objection to the Registrar at NCT of Delhi and Haryana, within thirty days from the date of publication of this notice, by a letter addressed to the Registrar, **4th Floor, IFCI Tower, 61, Nehru Place, New Delhi - 110019**, a copy of which shall be forwarded to in the Applicant at **1506, Vikram Tower, Rajendra Place New Delhi - 110008.**

For KALYAN ELECTORAL TRUST
Sd/- (Rajender Prasad Gupta) Director DIN: 00048888
Sd/- (Mahabir Prasad Gupta) Director DIN: 00014681

New Delhi,
February 28, 2019

फॉर्म ए सार्वजनिक घोषणा
(भारतीय दिवालियापन व ऋणशोधनक्षमता बोर्ड (नि